

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प. 33(2)गृह-9/2019 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 27.08.2020

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.07.2020 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों (मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारा आदि) को 01.09.2020 से शर्तों/प्रोटोकॉल की अनुपालना करते हुए खोले जाने बाबत निर्देश जारी किये गये थे।

राज्य सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को खोले जाने की स्थिति की समीक्षा कर अब 07.09.2020 से खोले जाने का निर्णय लिया गया है ताकि इनकी प्रबंधकीय समिति/मंडल/ट्रस्ट आदि को अनिवार्य सुरक्षात्मक उपाय करने का समय मिल सके और दिनांक 07.09.2020 से धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिये व्यवस्थित ढंग से खोले जा सकें।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों को धार्मिक स्थल में प्रवेश/दर्शन करने की अनुमति दिये जाने के साथ-साथ मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी एवं कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु सभी प्रभावी उपाय किये जाने आवश्यक होंगे।

धार्मिक स्थलों को दिनांक 07.09.2020 से आमजन के लिये खोले जाने के लिये निम्नांकित गाइडलाईन्स जारी की जाती है:-

1. कंटेनमेंट जोन्स/कर्फ्यू क्षेत्र :-

(Containment Zones/Curfew area):-

ये वे क्षेत्र हैं जहां कोविड-19 के हाल के दिनों में ही संक्रमित प्रकरण पाये गये हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्रों को उपयुक्त चिन्हित कर जिला कलक्टर द्वारा अधिसूचित किया जाता है। इन क्षेत्रों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार



कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स में वर्णित प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाती है एवं केवल चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने हेतु गतिविधियां अनुमत होती हैं।

अतः ऐसे क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों को खोले जाने की छूट अनुमत नहीं होगी।

2. बड़े धार्मिक स्थल जहां स्थानीय निवासियों के साथ साथ अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों के व्यक्ति भी दर्शनार्थ एवं पूजा अर्चना हेतु आते हैं, उनको खोले जाने से पूर्व जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय धार्मिक स्थल प्रबंधन द्वारा कर लिये गये हैं।

3. सामान्य सुरक्षा सावधानियां:-

(Common Safety Prescriptions):-

I सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना-

अ. धार्मिक स्थलों में व्यक्तियों के प्रवेश में इस तरह अंतराल रखा जाये कि एक समय में पूजा स्थल के अन्दर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो जाये कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रह सके। मस्जिदों में अदा की जाने वाली नमाज के दौरान नमाजियों की संख्या उपलब्ध स्थान एवं सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए रखी जावे।

ब. मुंह को ढकना (Face Covering):-

धार्मिक स्थल के पुजारियों एवं दर्शनार्थियों द्वारा चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति चेहरे पर फेस कवर पहने नहीं होगा उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।



स. जांच एवं स्वच्छता (Screening and hygiene):-

धार्मिक स्थलों के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर का समुचित प्रबंधन किया जायेगा।

द. बार-बार सेनेटाईजेशन करना :-

धार्मिक स्थल के परिसर एवं इसमें स्थापित की गई आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे फर्श, स्टील रेलिंग एवं दरवाजे के हैंडल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन किया जाना अनिवार्य होगा।

4. धार्मिक स्थल में फूल माला, प्रसाद, अन्य पूजा सामग्री ले जाने एवं घंटी बजाने पर प्रतिबंध :

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु बचाव उपायों के लिये जारी की गयी "मानक संचालन प्रक्रिया" में प्रसाद चढाने / वितरण करने या पवित्र जल के छिडकाव आदि पर प्रतिबंध जारी किये गये हैं। धार्मिक स्थलों में यह प्रतिबंध निरन्तर जारी रहेंगे। मानक संचालन प्रक्रिया की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

5. बड़े धार्मिक स्थलों में विशेष दिनों में दर्शनार्थियों की भीड नहीं जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाये। आरती को ऑनलाईन देखने हेतु प्रोत्साहित किया जावे एवं इसके लिये जनचेतना एवं प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

6. कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां तक संभव हो पूजा, उपासना, प्रार्थना और नमाज घर पर रहकर ही करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये ताकि धार्मिक स्थलो पर भीड नहीं जुटे।

7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकन हेतु बचाव उपायों के लिये


स्व

जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 4 जून, 2020 में वर्णित अन्य सभी सावधानियों एवं अहतियातों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जावे।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धार्मिक स्थलों को खोले जाने का तात्पर्य धार्मिक आयोजनों या धार्मिक जुलूसों की अनुमति बिल्कुल नहीं है। धार्मिक आयोजनों/धार्मिक जुलूसों पर लगाये गये प्रतिबन्ध निरंतर जारी रहेंगे।


जिला प्रशासन एवं पुलिस व धार्मिक स्थलों की प्रबंध समिति/मंडल/ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी हेल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जावे। विभाग के आदेश दिनांक 08.06.2020 द्वारा धार्मिक स्थलों को खोलने हेतु सुझाव देने के लिये जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति (प्रति संलग्न) द्वारा समय-समय पर धार्मिक स्थलों के सम्बंध में समीक्षा की जाकर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे।

उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं सामान्य सुरक्षा सावधानियों की उल्लंघना पाई जाने पर जिला कलक्टर/ जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा इस धार्मिक स्थल को बंद कराया जा सकेगा।


(एन एल मीना)
शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
7. महानिदेशक जेल/होमगार्ड
8. सभी विभागाध्यक्ष।
9. समस्त संभागीय आयुक्त।
10. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
11. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
12. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जिला स्तरीय, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।
13. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
14. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
15. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
16. उप सचिव, मुख्य सचिव।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।


(वी सरवन कुमार)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह

Government of India
Ministry of Health and Family Welfare

SOP on preventive measures to contain spread of COVID-19 in religious places/places of worship

1. Background

Religious places / places of worship get frequented by large number of people for spiritual solace. To prevent spread of COVID-19 infection, it is important that required social distancing and other preventive measures are followed in such premises.

2. Scope

This document outlines various generic precautionary measures to be adopted in addition to specific measures to be taken at particular places to prevent spread of COVID-19.

Religious places/places of worship for public in containment zones shall remain closed. Only those outside containment zones will be allowed to open up.

3. Generic preventive measures

Person above 65 years of age, persons with comorbidities, pregnant woman and children below the age of 10 years are advised to stay at home. Organisations managing the religious institutions to advise accordingly.

The generic preventive measures include simple public health measures that are to be followed to reduce the risk of COVID-19. These measures need to be observed by all (workers and visitors) in these places at all times.

These include:

- i. Individuals must maintain a minimum distance of 6 feet in public places as far as feasible.
- ii. Use of face covers/masks to be mandatory.
- iii. Practice frequent hand washing with soap (for at least 40-60 seconds) even when hands are not visibly dirty. Use of alcohol-based hand sanitizers (for at least 20 seconds) can be made wherever feasible.
- iv. Respiratory etiquettes to be strictly followed. This involves strict practice of covering one's mouth and nose while coughing/sneezing with a tissue/handkerchief/flexed elbow and disposing off used tissues properly.
- v. Self-monitoring of health by all and reporting any illness at the earliest to state and district helpline.
- vi. Spitting should be strictly prohibited.
- vii. Installation & use of Aarogya Setu App shall be advised to all.

4. All religious places shall also ensure:

- i. Entrance to have mandatory hand hygiene (sanitizer dispenser) and thermal screening provisions.
- ii. Only asymptomatic persons shall be allowed in the premises.
- iii. All persons to be allowed entry only if using face cover/masks.
- iv. Posters/standees on preventive measures about COVID-19 to be displayed prominently. Audio and Video clips to spread awareness on preventive measures for COVID-19 should be regularly played.
- v. Staggering of visitors to be done, if possible.
- vi. Shoes / footwear to be preferably taken off inside own vehicle. If needed they should be kept in separate slots for each individual / family by the persons themselves.
- vii. Proper crowd management in the parking lots and outside the premises – duly following social distancing norms shall be organized.
- viii. Any shops, stalls, cafeteria etc., outside and within the premises shall follow social distancing norms at all times
- ix. Specific markings may be made with sufficient distant to manage the queue and ensure social distancing in the premises.
- x. Preferably separate entry and exits for visitors shall be organized
- xi. Maintain physical distancing of a minimum of 6 feet at all times when queuing up for entry.
- xii. People should wash their hand and feet with soap and water before entering the premises.
- xiii. Seating arrangement to be made in such a way that adequate social distancing is maintained.
- xiv. For air-conditioning/ventilation, the guidelines of CPWD shall be followed which inter alia emphasises that the temperature setting of all air conditioning devices should be in the range of 24-30oC, relative humidity should be in the range of 40-70%, intake of fresh air should be as much as possible and cross ventilation should be adequate.
- xv. Touching of statues/idols / holy books etc. not to be allowed.
- xvi. Large gatherings/congregation continue to remain prohibited.
- xvii. In view of potential threat of spread of infection, as far as feasible recorded devotional music/songs may be played and choir or singing groups should not be allowed.
- xviii. Avoid physical contact while greeting each other.
- xix. Common prayer mats should be avoided and devotees should bring their own prayer mat or piece of cloth which they may take back with them.
- xx. No physical offerings like Prasad/distribution or sprinkling of holy water, etc.to be allowed inside the religious place.
- xxi. Community kitchens/langars / “Ann-daan”, etc. at religious places should follow physical distancing norms while preparing and distributing food.
- xxii. Effective sanitation within the premises shall be maintained with particular focus on lavatories, hand and foot-washing stations/areas.

- xxiii. Frequent cleaning and disinfection to be maintained by the management of the religious place.
- xxiv. The floors should particularly be cleaned multiple times in the premises.
- xxv. Proper disposal of face covers / masks / gloves left over by visitors and/or employees should be ensured.
- xxvi. In case of a suspect or confirmed case in the premises:
 - a. Place the ill person in a room or area where they are isolated from others.
 - b. Provide a mask/face cover till such time he/she is examined by a doctor.
 - c. Immediately inform the nearest medical facility (hospital/clinic) or call the state or district helpline.
 - d. A risk assessment will be undertaken by the designated public health authority (district RRT/treating physician) and accordingly further action be initiated regarding management of case, his/her contacts and need for disinfection.
 - e. Disinfection of the premises to be taken up if the person is found positive.

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह/ग्रुप-9/2019 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 08.06.2020

आदेश

राज्य में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए जन सुरक्षा की दृष्टि से यह अति आवश्यक है कि धार्मिक स्थलों को सावधानीपूर्वक खोला जाये। दिनांक 06.06.2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य के समस्त जिलों के विभिन्न धार्मिक नेताओं, गुरुओं आदि से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1. जिला कलेक्टर | - | अध्यक्ष |
| 2. जिले के समस्त विधायकगण | - | सदस्य |
| 3. जिला पुलिस अधीक्षक | - | सदस्य |
| 4. जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | - | सदस्य |
| 5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट | - | सदस्य सचिव |
| 6. जिले में प्रत्येक धर्म के गुरु, प्रमुख धार्मिक स्थलों के ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा मुख्य प्राधिकारी आदि, जिनका मनोनयन जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा | - | विशेष आमंत्रित सदस्य |

उक्त समिति विचार-विमर्श कर निम्न बिंदुओं पर अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी :-


1. प्रत्येक धर्म के धार्मिक स्थलों में उस धर्म के रीति-रिवाज एवं कोविड-19 से बचाव के लिए अनिवार्य सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए क्या-क्या और किस प्रकार से गतिविधियां, पूजा-अर्चना, इबादत एवं जियारत आदि अनुमत की जाये। इस बाबत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के द्वारा दिनांक 4 जून, 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा जाये।
2. जिले में स्थित समस्त ऐसे धार्मिक स्थल, जहाँ भारी संख्या में स्थानीय/जिले के व अन्य जिलों/राज्य से आगमन होता है, की सूची तैयार करना।
3. उक्त समस्त सूचीबद्ध धार्मिक स्थलों में प्रबंधकीय व्यवस्था तैयार करना एवं उस व्यवस्था के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना, जिसमें धार्मिक स्थल के भीतर सम्बन्धित ट्रस्ट आदि एवं उसके बाहर जिला प्रशासन/पुलिस आदि की भूमिका सम्मिलित हो। इस प्रबंधकीय

व्यवस्था में उस धार्मिक स्थल के परिसर में एवं उसके बाहर वह समस्त गतिविधियां भी सम्मिलित हो, जो उस धार्मिक स्थल से सम्बन्धित हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की दुकानें, तीर्थयात्री/जायरीन आदि के विश्राम स्थल आदि।

4. शेष धार्मिक स्थलों को किस प्रकार खोला जाये एवं क्या व्यवस्था की जाये, के सम्बन्ध में कार्य योजना।


उक्त समिति विस्तृत विचार-विमर्श कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 25.06.2020 तक प्रस्तुत करेगी।

समस्त जिलों से प्राप्त रिपोर्ट एवं उसके अध्ययन पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जायेगा कि लॉकडाउन अवधि में राज्य में स्थित धार्मिक स्थलों को कब से एवं किस प्रकार से खोला जाये।


(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक समस्त रेंज।
7. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट।
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।


विशिष्ट शासन सचिव, गृह